

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

हरकचन्द पुत्र मदनलाल ब्राह्मण (लालोदिया) निवासी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- वादी

बनाम

- 1- मु. पार्वती बेवा ओमप्रकाश ब्राह्मण (लालोदिया) निवासी 2-जी-21, पुराना बापू नगर भीलवाड़ा
- 2- मु. मंजू पुत्री ओमप्रकाश ब्राह्मण (लालोदिया) निवासी 2-जी-21, पुराना बापू नगर भीलवाड़ा
- 3- राजेश पुत्र ओमप्रकाश ब्राह्मण (लालोदिया) निवासी 2-जी-21, पुराना बापू नगर भीलवाड़ा
- 4- मु. मधु पुत्री ओमप्रकाश ब्राह्मण (लालोदिया) निवासी 2-जी-21, पुराना बापू नगर भीलवाड़ा
- 5- मु. मीना पुत्री ओमप्रकाश ब्राह्मण (लालोदिया) निवासी 2-जी-21, पुराना बापू नगर भीलवाड़ा
- 6- मु. सीमा पुत्री ओमप्रकाश ब्राह्मण (लालोदिया) निवासी गुरुजी की होटल, पावर हाउस के पास, पुर रोड़ भीलवाड़ा
- 7- गोपाल पुत्र मदनलाल ब्राह्मण(लालोदिया) टेलिफोन ऑपरेटर-शाहपुरा वाले निवासी 5 डी की टंकी के पीछे आरसी व्यास कॉलोनी, आसाम चाय वाले के पास भीलवाड़ा
- 9- उच्छब पुत्र मदनलाल ब्राह्मण(लालोदिया) (बैंक वाले) निवासी मकान नं. 172, त्रिवेणी चौराहा गोपालपुरा बाईपास पुलिया त्रिवेणी नगर सर्वेयर कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग जयपुर
- 10- मोहम्मद शरीफ पिता मोहम्मद इस्माईल, अधिवक्ता नई आबादी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 11- शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 12- शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 13- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र : खातेदारी घोषणा, बंटवाड़ा आराजियात
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 100/2016 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व
.....X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 27 माह 10 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा